कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी
(प्रसार शिक्षा निदेशालय)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

No./KVK/PHLD/2025-26/39-43 **Date: 14/05/2025**

वाहन किराये हेतु सीमित निविदा सूचना 01 / 2025–26

कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी पर वाहन किराये हेतु जीएसटी में पंजीकृत / लाईसेंस धारी फर्मों / निविदादाताओं से दर अनुबंध हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / स्थगित / निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

निविदा संबंधित विभिन्न तिथियां एवं समयः–

क्र. सं.	निविदा प्राप्ति दिनांक	दस्तावेज जमा करवाने की अंतिम दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	अनुमानित राशि (लाख)
1.	14.05.2025 प्रातः 10:00 बजे से	20.05.2025 प्रातः 10:30 बजे तक	20.05.2025 प्रातः 12:30 बजे तक	1.99

14/05/2025

(श्रीकिशन बैरवा)
वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. फार्म प्रभारी / कमेटी कन्वेनर / सदस्य / केशियर
5. नोटिस बोर्ड फार्म / कार्यालय / नगर परिषद् / ....
6. गार्डफाईल

14/05/2025

वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी
(प्रसार शिक्षा निदेशालय)
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

No./KVK/PHLD/2025-26/39-43 Date: 14/05/2025

निविदा प्रोफार्मा

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	किराया प्रति किलोमीटर मय टोल टैक्स (रूपये) सभी कर सहित		अन्य टिप्पणी
		ए.सी.	नॉन ए.सी.	
1.	बस 52 सीटर			
2.	मिनी बस			
3.	स्वीफ्ट / बेलेरो डी. आई.			
4.	बोलेरो केम्पर / पिकअप			

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

मोबाइल नम्बर ....

मोहर ....

निविदा की शर्ते

1. वाहन के रजिस्ट्रेशन/इन्श्योरेन्स आदि के कागजात पूर्ण होने चाहिये।
2. वाहन चालक के पास लाईसेंस हो तथा व्यवहार कुशल एवं साक्षर हो तथा किसी प्रकार के नशे का आदि नहीं हो।
3. वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो।
4. वाहन के बीच रास्ते में खराब होने की स्थिति में दूसरे वाहन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
5. वाहन की किलामीटर रीडिंग की गणना, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी के कार्यालय से रवाना होकर वापस वहीं आने तक की होगीं।
6. सभी तरह के कर एवं टोल टैक्स इत्यादि के भुगतान की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
7. वाहन की खराबी अथवा वाहन चालक/ वाहन के अन्य स्टॉफ के कारण यात्रा में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो वाहन के किराये में अनुपातिक रूप से कटौती होगीं।
8. डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर किराये की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
9. वाहन के टूट–फूट, दुर्घटनाग्रस्त व चालान होने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
10. वाहन वैद्य टैक्स परमिट धारक होना चाहिये।
11. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु, का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं निविदादाता इसके लिए बाध्य होगा।
12. आप द्वारा प्रस्तुत दरें आगामी 31.03.2026 तक मान्य रहेगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर प्रचलित दरों पर बढ़ाया भी जा सकता है।
13. भुगतान जब पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
14. जिन निविदादाताओं की दरें क्रय कमेटी द्वारा अनुमोदित की जायेगी, उन्हे समय–समय पर कार्यालय की मांग एवं आवश्यकतानुसार कार्यादेश जारी करने पर अनुमोदित दर पर फर्म को वाहन उपलब्ध कराना होगा।
15. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जायेगा, यदि–
    1. संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
    2. निविदादाता संपूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।
    3. प्रतिभूति निक्षेप को जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
16. फर्म/ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा (सब्लेट नहीं करेगा)।
17. क्रय कमेटी को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना बताये अस्वीकृत कर सकेंगे।
18. निविदा को दिनांक 20.05.2025 को 12:30 बजे बाद खोला जायेगा। यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है अथवा निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
19. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी के पास सुरक्षित रहेगा एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फलोदी के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
20. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 में और उपरोक्त दी गई शर्तों में विरोधाभास की स्थिति में आरटीपीपी एक्ट एवंनियमप्रभावीहोगा।
21. किसी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र फलोदी होगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष